

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3)



क्रमांक-एफ-4(13)आरडी/नरेगा /हरित/09 जयपुर, दिनांक : **■ 6 JUL 2009**

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,  
समस्त(राजस्थान)।

विषय :- नरेगा के तहत कियान्वित की जा रही हरित राजस्थान योजना  
के प्रभावी कियान्वयन बाबत।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत हरित राजस्थान योजना  
को हाथ में लिया गया है। इस योजना के कियान्वयन हेतु वार्षिक कार्य योजना  
तैयार की गई है। जिसके अनुरूप नरेगा के तहत सघन वृक्षारोपण किया जाना है।  
इसके प्रभावी कियान्वयन हेतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के  
निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों एवं गांव के प्रबुद्ध व्यक्तियों को इस योजना के  
कियान्वयन से जोड़ा जावें। इसी परिपेक्षय में यह निर्णय लिया गया है कि 15  
जुलाई, 2009 से पूर्व प्रत्येक पंचायत समिति एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर  
हरित राजस्थान के संदर्भ में विशेष बैठकों का आयोजन किया जावें। उपरोक्तानुसार  
आपसे अनुरोध है कि समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित करते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत  
एवं पंचायत समिति स्तर पर विशेष बैठकों का आयोजन सुनिश्चित किया जावें।  
उनमें प्रत्येक स्थान पर वन विभाग एवं पंचायत समिति के अधिकारी/कर्मियों  
जिनकों इस योजना की पूर्ण जानकारी हों, को विशेष रूप से भाग लेकर जानकारी  
उपलब्ध कराने हेतु मनोनीत किया जावें। जुलाई के मध्य से इस योजना का एवं  
वन महोत्सव का शुभारंभ होगा, जिसमें एक दिन में राजस्थान में राज्य, जिला,  
पंचायत समिति एवं पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होंगे एवं वृक्षारोपण का  
कार्य प्रारंभ होगा। इस कार्यक्रम की तैयारी भी कर ली जावें, जिसमें कार्यक्रम के  
स्थल का चयन, वृक्षारोपण हेतु स्थान का चयन एवं कार्यक्रम की रूपरेखा शामिल  
होगी।

भवदीय,

(जी.एस.संधु)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान, जयपुर।
2. रक्षित पत्रावली।

परि. निदे. एवं उप सचिव (ग्रामों)